भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे भर्ती बोर्ड

सूचना

यह संज्ञान में आया है कि रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवार रेलवे पटरियों पर विरोध–प्रदर्शन, ट्रेन संचालन में व्यवधान, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने जैसी उपद्रवी/गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त हुए हैं। इस तरह की गतिविधियां उच्चतम स्तर की अनुशासनहीनता प्रदर्शित करती हैं जो ऐसे उम्मीदवारों को रेलवे/सरकारी नौकरियों के लिए अनुपयुक्त बनाती हैं। ऐसी गतिविधियों के वीडियो की विशेष एजेंसियों की मदद से जॉच कराई जाएगी और गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने वाले उम्मीदवारों पर पुलिस कार्रवाई के साथ–साथ ही उन्हे रेलवे की नौकरी प्राप्त करने से आजीवन प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।

सभी आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। रेलवे नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे गुमराह न हों या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आएं जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड

दिनांक: 25.01.2022